न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/128

1. राधेश्याम पुत्र देवीलाल जाति मीणा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 हरिश पुत्र राधेश्याम
   1/2 पूजा पुत्री राधेश्याम
   1/3 चाहनियां बाई बेवा राधेश्याम
2. रामरतन पुत्र देवलाल जाति मीणा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 दीपक कुमार पुत्र रामरतन
   2/2 सन्दीप पुत्र रामरतन
   2/3 प्रिया पुत्री रामरतन
   2/4 ज्योति पुत्री रामरतन
   2/5 कैलाश बाई पत्नी रामरतन
   जाति मीणा निवासीगण ग्राम चौमां मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
3. ललता पुत्री देवलाल जाति मीणा
4. जगदीश पुत्र हीरालाल जाति मीणा
5. सुखलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा
6. संतोष बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा
7. सोनू पुत्र रामपाल जाति मीणा
8. हनुमान प्रसाद पुत्र रामपाल जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम चौमामालियान तहसील सांगोद जिला कोटा

–अपीलांटगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।

अपील संख्या 2025/128
राधेश्याम मृतक जर्ये का.मु. हरीश बनाम अर्जुन

निर्णय

दिनांकः 10.11.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 13/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थी के शामलाती खाते में कुल 10 किता की 15.13 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें प्राथी का 1/10 हिस्सा दर्ज है। जिसमें खसरा नम्बर 164 की 1.42 हेक्टर भूमि भी शामिल है। जिस पर सहखातेदारान की आपसी सहमति उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 पेश है। ग्राम चोमा मालियान तहसील दीगोद में प्रतिपक्षी नं0 1 ता 3 के शामलाती खाते में अन्य खसरा नम्बरान के अलावा खसरा नम्बर 163 की 0–77 हेक्टर व खसरा नम्बर 687/162 की 0.10 हेक्टर भूमि खाते दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी नं0 4 ता 8 के शामलाती खाते में अन्य खसरा नम्बरान के अलावा खसरा नम्बर 686/162 की 2.09 हेक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की खसरा नम्बर 164 की भूमि पर आने जाने के लिये आम रास्ते की ख0 न० 156 से सिवाय चक ख0न0 669/135 की 0.10 हेक्टर भूमि की पूर्वी मेड पर दक्षिण से उत्तर होते हुये पूर्व से पश्चिम की ओर ख0न0 669/135, ख0न0 687/1620 686/162 तथा ख0न0 132 के मध्य की मेड पर होकर बने रास्ते से अपने खसरा नम्बर 164 की भूमि पर आते जाते रहे है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने पिता के समय से ही अपने खेत में आने जाने हेतु करता चला आ रहा है। जो एक प्रचलित रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की उक्त भूमि ख0नं0 164 में आने जाने का नहीं है। प्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी उक्त चालू रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने खेत पर आता जाता है हंकाई जुताई के साधन ट्रेक्टर व ट्रोली व अन्य काश्तकारी सामान लाता व ले जाता रहा है और अपने खेत पर फसल आदि काश्त कर अपने व परिवार की जीवनयापन करता है उक्त रास्ता ही प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने का प्रचलित व चालू रास्ता रहा है जो अप्रार्थी नं. 1 ता 8 की जानकारी व ज्ञान में भी है। प्रार्थी का अपने खेत पर पहुंचने का दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही रास्ता प्रार्थी के अपने खेत पर पहुंचने का एक मात्र प्रचलित व चालू रास्ता है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड अथवा नक्शा ट्रेस में नहीं है। नकल नक्शा ट्रेस सलंग्न है। उक्त रास्ता जो ख0न0 686/162. 687/162 व 669/135 तथा ख0न0 163 के मध्य में यानी मेड पर होकर व ख0न0 669/135 की पूर्वी मेड पर होकर है किन्तु प्रतिपक्षीगण उक्त मेड व रास्ते की भूमि पर प्रार्थी को आने जाने से व मशीनरी द्वारा फसल को काटने से व मशीन को लाने से रोक दिया व रास्ता अवरूद्ध कर दिया। इस कारण प्रार्थी ने दिनांक 2–1–2022

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

को प्रतिपक्षी नं0 1 ता 3 व प्रतिपक्षी नं0 4 ता 8 से उक्त रास्ते को खुलासा करने तथा उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया। यदि उक्त रास्ता खुलासा नहीं करवाया गया तो प्रार्थी फसल नहीं कर सकेगा और न अपनी भूमि की हंकाई जुताई कर सकेगा जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक क्षति होगी । उक्त ख0न0 686/162, 687/162 व 669/135 तथा ख0न0 163 के मध्य पूर्व से पश्चिम दोनों खेतों में से 6–6 फीट यानी 12 फीट चोडा रास्ता दिये जाने व कायम किये जाने व राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार साहब दीगोद को आदेश व निर्देश दिया जाना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी डीएलसी रेट से भूमि की कीमत अदा करने को तत्पर है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अविलम्ब पेश किया जा रहा है जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ख0न0 164 की भूमि पर पहुंचने के लिये प्रतिपक्षी नं० 1 ता 3 की ख0नं0 163 व 687/162 की भूमि के उत्तरी व दक्षिणी ओर व प्रतिपक्षी नं0 4 ता 8 की भूमि ख०नं० 686/162 की भूमि के उत्तरी ओर यानी दोनों की मेड के मध्य 6–6 फीट यानी 12 फीट चोडाई में पूर्व से पश्चिम तक की भूमि व ख०न० 669/135 की पूर्वी मेड पर बने रास्ते को खुलासा करने व उस प्रचलित रास्ते को रास्ते के रूप में कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में करने हेतु प्रतिपक्षी नं० 9 को आदेश व निर्देश प्रदान किया जावे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2025 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 163, 686/162, 687/162, 669/135 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो कि त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम चौमामालियान स्थित खसरा नम्बर 156 गैरमुमकिन रास्ता है। तथा खसरा नम्बर 164 165, 166, अन्य आराजी रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट के परिवारजनो के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। उक्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट के पूर्वज एक ही रहे है बाद मे ज्यो–ज्यो परिवार मे सदस्यों की संख्या मे बढोतरी होती गयी और समय अन्तराल के अनुसारबंटवारा होता चला गया। उक्त सम्पूर्ण आराजी में अपीलान्ट की खसरा नम्बर 161 की तरफ से परम्परागत रास्ता कदिमी समय से रहा है। जो आज भी मौके पर मौजूद है और इसका उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट व आस पास के अन्य खातेदारान करते चले आ रहे है उक्त रास्ता मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 686/162. खसरा नम्बर 687 रकबा 162 खसरा नम्बर 669/35 खसरा नम्बर 163 में से नवीन रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश मे वर्णित रास्ता मौके पर न तो मौजूद है और न ही कोई रास्ता ही है केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के साथ मिलकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य रास्ते पर लाने के ध्येय से आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के स्थापित नियमो के अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी और न तहसीलदार अथवा उच्च अधिकारी द्वारा मौका देखागया है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की है जो विधि के स्थापित नियमो के विपरीत है। प्रस्तुत रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा कार्यालय में तैयार की गयी है मौके पर आकर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी। और न रिपोर्ट परअपीलान्ट को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान किया है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रकट कर देने के बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चौमामालियान स्थित खसरा नम्बर 686/162, खसरा नम्बर 687/162, खसरा नम्बर 163 के खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने परम्परागत रास्ता मौके पर मौजूद होना माना है और परम्परागत रास्ता जिन खातेदारान की आराजी मे से होकर निकलता है उन्हे पक्षकार बनाये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को परेशान करने के ध्येय से आदेश प्रदान किया है कारण कि परम्परागत रास्ता भी अपीलान्ट की आराजी मे से होकर है इस प्रकार से दोनो तरफ से ही अपीलान्ट की आराजी मे रास्ता होना मानलिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के

साथ संलग्न नक्शा को इस आधार पर मानलिया कि परम्परागत रास्ता लम्बा है व प्रस्तावित रास्ता छोटा है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के हितों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 669/35 के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नही दिया कि खसरा नम्बर 164 व 166 के पूर्व में एक ही खातेदार है व एक ही परिवार के लोग है। खसरा नम्बर 164 का खातेदार आराम से 161, के सहारे 166 मे से होता हुआ अपनी आराजी में आराम से आ जा सकता है और आ रहा है, किन्तु फिर भी अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे प्राप्त रिपोर्ट व बाद मे अपीलान्ट की आपत्ति पर मंगवायी रिपोर्ट के संबंध में कोई सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने राशि तय किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा बताया गया कि रेस्पोडेन्ट उसके दादा परदादा खसरा नम्बर 156 गैर मुमकिन रास्ता मे होकर खसरा नम्बर 158 के पश्चिमी दिशा ताखाजी के स्थान के पास से होते हुए खसरा नम्बर 161, 166, 168 की पश्चिमी मेर व खसरा नम्बर 170, 168 के मध्य मेर पर होकर खसरा नम्बर 165, जो प्रार्थी के स्वयं के खाते में है से प्रचलित रास्ते से हमेशा की भाँति रेस्पोडेन्ट आज भी आता जाता रहा है। किन्तु फिर भी उक्त तथ्य की जाँच किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि में होने का अंकन है। उक्त मोका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से स्वयं के खाते की खसरा संख्या 164 की भूमि में पहुंचने हेतु अपीलांटगण के खाते की खसरा संख्या 163, 687/162, 686/162, 669/135 की भूमि में रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2025 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की प्रश्नगत खसरा संख्या 164 की भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 163, 686/162, 687/162, 669/135 में कायम किए जाने का आदेश अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में खसरा संख्या 163, 686/162, 687/162, 669/135 में किसी प्रकार का रास्ता विद्यमान नहीं होने का कथन किया गया है, साथ ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की प्रश्नगत खसरा संख्या 164 पर आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 156 गैर मुमकिन रास्ते से होकर खसरा संख्या 158 की पश्चिम दिशा ताखाजी के पास होते हुए खसरा संख्या 161, 166, 168 की पश्चिम मेर व खसरा संख्या 170, 168 के मध्य की मेर पर होकर खसरा सख्या 165 की भूमि तक विद्यमान होने का कथन किया है। अपीलांटगण का यह भी कथन है कि खसरा संख्या 164, 165 व 166 की भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा उसके परिवार वालों की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार ग्राम चौमामालियान की प्रश्नगत खसरा संख्या 164, 165 व 166 की भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अपीलांटगण का यह कथन सही है कि प्रश्नगत खसरा सख्या 164, 165 व 166 की प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा सख्या 164, 165 व 166 की भूमियां एक दूसरे के लगवां है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जो दिनांक 14.06.2024 को तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 164 में आने जाने हेतु नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु सी से बिन्दु डी तक अर्थात खसरा संख्या 163, 162/687, 669/135 में होकर रास्ता चाहा गया है। उक्त नजरी नक्शे में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहा गया बिन्दु सी से डी तक का रास्ता मोके पर प्रचलित नहीं होना अंकित किया गया है। अतः हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो रास्ता चाहा गया है, उक्त रास्ता मोके पर विद्यमान नहीं होना प्रकट होता है। साथ ही इसी नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बिन्दु बी तक डोटेड लाईन से अंकित रास्ते को मोके पर प्रचलित रास्ता होने का अंकन किया है, जो नजरी नक्शे के अनुसार बिन्दु ए से बिन्दु बी तक जाने वाला रास्ता

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

गैर मुमकिन रास्ते खसरा संख्या 156 से प्रारंभ होकर खसरा सख्या 177 में होते हुए खसरा संख्या 161 तथा 166 की पश्चिम तथा उत्तर की मेर पर होकर खसरा संख्या 165 तक जाना अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा सख्या 165 की भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही प्रचलित रास्ता बिन्दु ए से प्रारंभ होकर बिन्दु बी तक अर्थात खसरा संख्या 165 की भूमि तक विद्यमान होना प्रकट होता है। चूंकि खसरा संख्या 166 व खसरा संख्या 165 भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि है जो खसरा सख्या 164 के लगवां स्थित है, अतः हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 164 की भूमि में पूर्व से ही रास्ता विद्यमान होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते के सम्बंध में पुनः मोका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 31.01.2025 को तैयार की गई है। मोका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 164 की भूमि में आने जाने हेतु दो रास्ते विद्यमान होने का अंकन किया गया है, तथा जो रास्ता प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहा गया है, उक्त रास्ता मोके पर प्रचलित नहीं होने का अंकन किया गया है, साथ ही प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा बताये गये रास्ते को प्रचलित रास्ता होने का अंकन किया गया है। अतः पत्रावली में संलग्न मोका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 एवं मोका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहा गया रास्ता प्रचलित रास्ता नहीं होना अर्थात मोके पर विद्यमान नहीं होना प्रकट होता है। हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व से ही विद्यमान होना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने तथा चाहा गया रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होने पर ही दिया जाना कानूनन उचित है। साथ ही अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाना आवश्यक है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में मोके पर वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होना प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहे गये रास्ते को उसकी आत्यांतिक रास्ता होने का तथ्य पर स्पष्ट रूप से निष्कर्ष अंकित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता होने के सम्बंध में अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू-अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का कानूनन यह उत्तरदायित्व था कि वह विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार करवाने के उपरांत उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में पहुंचने हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः हमारे मत में वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए पुनः मोका रिपोर्ट तैयार करवाई जाना आवश्यक है तथा मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 की पालना में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 13/2022 में पारित निर्णय 22.04.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तैयार करवाई जावे। मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा